FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– **जिला कलक्टर** मुकाम **अजमेर**

सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद **बनाम** भंवरसिंह पिता छोटू

किस्म मुकदमा–धारा 82 राज0 भू राजस्व अधि 1956 **प्रकरण संख्या:**.108 सन् 2014

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.11.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पैरोकार सरकार ने निवेदन किया ग्राम राजोसी तहसील नसीराबाद के चौसाला खसरा नं. 2179 रकबा 01–04–00 किस्म नाला के विरूद्ध रेफरेन्स प्रकरण तहसील नसीराबाद द्वारा प्रेषित किया गया। हाजा न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 20.01.2007 को निर्णय पारित कर भूमि को नाले की भूमि मानते हुए रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भूमि सिवायचक दर्ज हेतु प्रेषित किया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त प्रकरण में निर्णय दिनांक 23.04.2014 को पारित कर प्रकरण पुनः न्यायालय जिला कलक्टर को इस आशय से भेजा कि वर्तमान खसरा नं. 2652 का क्षेत्रफल उपलब्ध अभिलेखों में अलग कैसे दिखाई दे रहा है और किस प्रकार विवादित भूमि को गैरयाचिकाकर्ता की खातेदारी में दर्ज किया गया हैं। उपरोक्त संदर्भ में तहसीलदार नसीराबाद (प्रार्थी) से माननीय न्यायालय द्वारा टिप्पणी तलब की गयी टिप्पणी के क्रम सं. 4 अनुसार **"राजस्व रिकॉर्ड में उक्त खसरा संख्या 2179 का मिलान क्षेत्रफल अनुसार रकबा 01–04–00 था। जिसकी किस्म गैर मुमकिन नाला थी। उक्त खसरा संख्या के नवीन (वर्किंग) खसरा सं. 2651/4247, 2650/4248, 2649/4249 क्रमशः रकबा 0.12, 0.08, 0.08 मुताबिक नक्शा होने चाहिए लेकिन त्रुटिवश इनका अंकन मिलान क्षेत्रफल में नहीं किया जाकर इन खसरो के लगायत मूल खसरा नं. 2649, 2650, 2651, 2652 का मिलान में सहवन से अंकन दर्ज होने से मुताबिक मिलान क्षेत्रफल गलत खसरा नम्बर 2652 का रेफरेंस तैयार किया जाकर प्रस्तुत किया गया। जबकि चौसाला खसरा नं. 2179 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उक्त वर्किंग खसरा 2651/4247, 2650/4248, 2649/4249 के हाल/नवीन खसरा संख्या 3168, 3169, 3170 क्रमशः रकबा 0.12, 0.08, 0.08 हैं। जिसकी किस्म गैर मुमकिन नाला है। जो कि हाल जमाबन्दी अनुसार राजस्व खाता संख्या 577 अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं।"** चूंकि रेफरेन्स प्रकरण गलत खसरा नं. का तैयार कर प्रस्तुत किया गया है अतः रेफरेन्स प्रकरण को ड्रॉप/निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया हैं। अतः उपरोक्त विवेचन विश्लेषण अनुसार तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत उक्त रेफरेन्स प्रकरण निरस्त किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद को निर्देशित किया जाता है कि सही खसरा नम्बर के साथ पुनः रेफरेन्स प्रकरण तैयार कर हाजा न्यायालय को प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (लोक बंधु) **जिला कलक्टर, अजमेर**	